

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	मुं. नं० ०७/२०२३ ज० प३।५।५ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज डनवान - पृथ्वीसिंह बनाम केलाचठ अन्न	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

२२-२-२५

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राची एवं प्राची को बार-बार आवाज लगाई गई किन्तु अधिवक्ता प्राची अथवा प्राची में से कोई भी पेश नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि प्राची विचारणीय प्राचीना पत्र १५।५) अंतर्गत भूमि आकंठन नियम १९७० में काम नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्राची पृथ्वीसिंह पुत्र नाथूसिंह राजपूत निवासी भूडिये स्या हन बडियाल कला तहसील बांकीसुई डाय भूमि आकंठन आदेश दिनांक ७-१२-२००५ बहक अधिवक्ता सं। केलाचठ चन्द शर्मा पुत्र रामडियोर शर्मा निवासी गढ़ दुब्की तहसील बसवा के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत प्राचीना पत्र १५।५) अंतर्गत राजभूमि प्रयोजनाय भूमि आकंठन नियम १९७० अधिनियम एवं अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। निवीय की प्रति तहसीलदार बांकीसुई को भिजवाई जावे। पत्रावली पेश करने के लिए नम्बर संकम हो एवं वाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।

निर्णय आज दिनांक २२-२-२०२५ को मेरे सभ्य न्यायालय में सुनाया गया।



नरेश बुनकर
 अति. जिला कलक्टर
 दौसा (राज.)

